सत्र प्रकरण कमांक–250/18 ***"राज्य विरूद्ध राजादीप व अन्य"***

Witness No. ....–04– .... **for ...–**अभियोजन साक्षी**–.... Deposition taken the ..... –11.10.2019–** day **शुकवार–.** Witness's apparent age **.–48 –वर्ष....**

States on affirmation -शपथपूर्वक. **..........** my name is **......–नरेन्द्र पाण्डे................**

W/son of ......श्री डी एन पाण्डे **....** Occupation **....– पटवारी**

address :- – पटवारी हल्का नंबर 37 गोदवारा रायपुर – ....

1– मै सितम्बर 2017 से पटवारी हल्का नंबर 62 रायपुर खास में पटवारी के पद पर पदस्थ था। दिनाक 17.10.2018 को मुझे घटनास्थल पुलिस थाना सिटी कोतवाली अपराध क्रमांक 318/18 का नजरीनक्शा तैयार किये जाने बाबत् नायब तहसीलदार कार्यालय रायपुर के आदेश दिनांक 20.09.2018 एवं प्रार्थिया शिवम उर्फ शिवा मुदलियार के दिखाये मौका अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 17.10.2018 को मेरे द्वारा तैयार किया गया था जो कि प्रदर्श पी 5 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल को मैने लाल रंग से रेखांकित है जो क्रमांक 1 है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन आर साहू अधिवक्ता वास्ते अमरदीप

2– मुझे तहसीलदार से तहरीर दिनांक 16.10.2018 को प्राप्त हुआ था। यह कहना सहीं है कि तहरीर मिलने दिनांक को ही मैं घटना स्थल नहीं गया था। यह कहना सहीं है कि तहरीर में घटना स्थल का उल्लेख नहीं है। यह कहना सहीं है कि मैने प्रदर्श पी 5 के नजरी नक्शे में मोहल्ले का उल्लेख नहीं किया है। यह कहना सहीं है कि जो नक्शा बनाया गया है वह रायपुर खास का नक्शा है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है।

3– यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा किसके बताये अनुसार तैयार किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। गवाह स्वतः कहता है कि प्रार्थी शिवम उर्फ शिवा मुदलियार के बताये अनुसार तैयार किया है। यह कहना सहीं है कि मैने प्रार्थी शिवम उर्फ शिवा मुदलियार को उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस नहीं

दिया गया है। यह कहना गलत है कि मैने नक्शा पुलिस के कहने पर थाने में प्रार्थी को बुलाकर तैयार किया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते राजादीप</u>

3— यह कहना सहीं है कि जहां पर घटना स्थल को लाल स्याही से रेखांकित किया गया है वह संकरी गली है।यह कहना भी सही है कि घटना स्थल भीड़ भाड़ वाला आवासीय स्थल है। यह पूछे जाने पर कि घटना स्थल से मोटर सायकल बहुत मुश्किल से निकल सकती है इस पर साक्षी का कहना है कि निकल सकती है।

4— यह कहना सहीं हे कि घटना स्थल के आस पास यदि लोग खड़े होकर बात कर रहे हो तो मोटर सायकल को रूकना पड़ेगा । यह कहना सहीं है कि आस पास के लोगों को नजरी नक्शा के साक्षी नहीं बना या है। यह कहना गलत है कि मैने नजरी नक्शा पुलिस के कहने पर तैयार किया गया है। यह कहना सहीं है कि मैं प्रार्थी को पहले से नहीं जानता था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 5 को मै थाने में तैयार कर हस्ताक्षर किया हूं।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।
सही/—
(श्रीमति प्रतिभा वर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/—
(श्रीमति प्रतिभा वर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर ....